उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–44/2023–24

Aadhar Housing Finance Ltd.

बनाम्

Abdul Rahim & Others

–: आदेश :–

10.07.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, Aadhar Housing Finance Ltd. Office no. 5, 3rd Floor, Shree Sai Towers, Burdman Compound, Lalpur, Ranchi के द्वारा धारा–14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी विपक्षी 1. अब्दुल रहीम 2. नोरानी बीबी 3. करीम खान 4. जानी शेख सभी सा0 पिण्ड्राजोरा, नारायणपुर, जिला बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Aadhar Housing Finance Ltd. की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All that part and parcel of property bearing land 6 decimal situated at Mouza Narayanpur, Mouza No. 3 Khata No. 253, Plot No. 895, under P.S. Pindrajora, District-Bokaro, Jharkhand.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 6,09,775.00 (छः लाख नौ हजार सात सौ पचहत्तर) मात्र ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–11.04.2022 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक–13.05.2022 तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 5,55,280/– के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा

SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा–14 (1) and (2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष को निबंधित डाक से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया था किन्तु नोटिस बिना तामिला के ही वापस प्राप्त है। फलस्वरूप समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशन कर विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, उनके विद्वान अधिवक्ता का दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि विपक्षी से ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजुद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहना और अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण–पृच्छा/लिखित जबाब दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, Aadhar Housing Finance Ltd. Office no. 5, 3rd Floor, Shree Sai Towers, Burdman Compound, Lalpur, Ranchi द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस

अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

4/7/17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

4/7/17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.20 17:45:07 +05:30
Location: 192.168.1.104